न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी – महीपाल सिंह , आर.ए.एस.
मुकदमा नंबरः– 46/2017 वादपत्र

अनवान

1. गोपीलाल पिता रंगलाल नाई (सेन) आयु व्यस्क निवासी रेह तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
मृतक के बजाय
1/1 श्री मुरलीधर पिता स्व0 गोपीलाल नाई आयु व्यस्क निवासी रेह तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
1/2 श्री भैरूलाल पिता स्व0 गोपीलाल नाई आयु व्यस्क निवासी रेह तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
1/3 बाली पुत्री स्व0 गोपीलाल नाई आयु व्यस्क निवासी रेह तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

– वादीगण

बनाम

1.श्री शंभुलाल पुत्र रामा नाई (सेन) आयु व्यस्क निवासी रेह तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
2 श्री माधुलाल पुत्र रामा नाई (सेन) आयु व्यस्क निवासी रेह तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
3.श्रीमती कंचन पुत्री रामा नाई (सेन) आयु व्यस्क निवासी रेह तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
4.श्री लादुलाल पुत्र रतनलाल ब्राहम्ण आयु व्यस्क निवासी रेह तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
5.श्री कैलाश पुत्र बालु लाल सोनी आयु व्यस्क निवासी रेह तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
6.श्री राम पुत्र गंगाराम गुर्जर आयु व्यस्क निवासी रेह तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
7.श्री सुनील कुमार पिता शांतिलाल ब्राहम्ण आयु व्यस्क निवासी रेह तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
8.श्री गजेन्द्र पुत्र नारायण लाल टॉक आयु व्यस्क निवासी बड़ी का बाड़िया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
9.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

–प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत् विभाजन आराजियात व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा –53 एवं 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. श्री विनोद तिवाडी — अधिवक्ता वादीगण
2. श्री मुकेश जैन — अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 7

:: निर्णय ::

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2022.09.03 16:27:13 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 12.07.2021

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर ग्राम रेह पटवार हल्का [illegible]हीमथा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बैमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 312 में आ0नं0 351, 402 कुल किता 2 रकबा 2.10 बीघा तथा खाता संख्या 327 में आराजी नंबर 02, 252, 253, 254, 339, 341, 342,

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

343, 347, 348, 350, 398 व 401 कुल किता 13 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा भूमि दोनों खातों की कुलिया आराजीयात 14 बीघा 08 बिस्वा भूमि वादी एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 की संयुक्त पुश्तैनी होने से वादी एवं प्रतिवादी के मध्य हुए बाहमी तौर पर हुये विभाजन अनुसार अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से में से कुछ आराजी फर्दन–फर्दन प्रतिवादी संख्या 04 लगायत 07 को विक्रय कर दी । सभी वादी एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। उक्त वर्णित आराजियात का संयुक्त खाता होने से आये दिन उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निदान हेतु वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा बाहमी विभाजन के आधार पर राजस्व रेकार्ड़ में अलग अलग खाता कराने का निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण बाहमी विभाजन के आधार पर खाता अलग कराने को तैयार नहीं होने से यह वाद पत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादी का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु सम्मन नोटिस को जारी किये । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अब्दुल रशीद , प्रतिवादी संख्या 3 व 8 की ओर से अधिवक्ता श्री मुरलीधर जोशी तथा प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश जैन ने अधिकार पत्र पेश किए। नियत दिनांक 29.05.2014 को प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 व 9 को विधिवत रूक–रूक कर तीन मर्तबा आवाजें लगाई गईं। किन्तु प्रतिवादी संख्या 04, 05, 06 व 09 के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिये गये। प्रकरण में नियत दिनांक 22.03.2021 वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 03 धारा 151 जा.दी. पेश किया जिस पर वकील प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति नहीं करने से स्वीकार किया गया। वकील वादी ने संशोधित अनवान व वादीगण 1/1 तथा 1/2 के अधिकार पत्र पेश किये जिसे शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार करेड़ा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसे शामिल फाईल किया गया । वकील वादी ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस करनी चाही। वकील वादीगण की बहस सुनी गई । बहस के दौरान वकील वादीगण ने प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की वकील प्रतिवादी संख्या 7 श्री मुकेश जैन ने भी तहसीलदार द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट की। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा 3 व 8 अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 व 8 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाती है।

मैनें पत्रावली, उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया तथा वकील वादी की बहस पर मनन किया । उपरोक्त विवेचन के आधार न्याय हित में तहसीलदार करेड़ा द्वारा प्रस्तुत विभाजन स्कीम अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है। अतएवः

आदेश

प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम रेह पटवार हल्का दहीमथा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र [illegible] तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित निम्न आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 के मध्य विभाजन अनुसार भूमि राजस्व रेकार्ड़ में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उसी अनुसार भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड़ में दर्ज की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2022.09.03 16:27:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

1. मुरलीधर, भैरूलाल, बाली पिता गोपी नाई सा. देह खातेदार

आराजी नंबर	252/1	254/1	339	341	343	342
रकबा बीघा में	0–05	1–19	0–08	0–04	1–02	0–16

कुल किता 6 रकबा 4–14 बीघा

2. शंभुलाल पिता रामा 5/17, माधुलाल पिता रामा 12/17 नाई सा.देह खातेदार

आराजी नंबर	347	350	351 मि.	398	401/1	
रकबा बीघा में	0–08	0–04	0–15	0–05	0–02	

कुल किता 5 रकबा 1–14 बीघा

3. माधुलाल पिता रामा नाई सा. देह खातेदार

आराजी नंबर	402/1	402/4
रकबा बीघा में	0–02	0–02

कुल किता 2 रकबा 0–04 बीघा

4. शंभुलाल 3/20, माधुलाल 7/20, पिता रामा, मुरलीधर, भैरूलाल बाली पिता गोपी 1/2 नाई सा. देह खातेदार

आराजी नंबर 348 रकबा 0.02 बीघा कुल किता 1 रकबा 0.02 गे.मु.

5. लादुलाल पिता रतनलाल शर्मा सा. देह खातेदार

आराजी नंबर	252 मि.	254 मि.	351/1	401 मि.	402 मि.
रकबा बीघा में	0–08	2–07	0–08	0–02	0–06

कुल किता 5 रकबा 3–11 बीघा

6. सुखनाथ पिता मोहननाथ योगी सा. देह खातेदार

आराजी नंबर 402/2 रकबा 0–04 बीघा कुल किता 1 रकबा 0–04 बीघा

7. सुनील कुमार पिता शांतिलाल शर्मा सा. देह खातेदार

आराजी नंबर 402/3 रकबा 0–08 बीघा कुल किता 1 रकबा 0–08 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2022.09.03 16:27:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा

8. गजेन्द्र पिता नारायणलाल टॉक सा. कोशीथल तह0 सहाड़ा खातेदार

आराजी नंबर 351/2 रकबा 0–05 बीघा कुल किता 1 रकबा 0–05 बीघा

9. कैलाश चन्द्र पिता बालुलाल सोनी सा. करेड़ा खातेदार

आराजी नंबर	253	254/2
रकबा बीघा में	0–16	0–17

कुल किता 2 रकबा 1–13 बीघा

10. पहले से खाते में तनहा दर्ज खातेदार मन्दरूप पिता गंगाराम गुर्जर सा. देह खातेदार जरिये नामान्तकरण संख्या 1279 दिनांक 14.10.19 में आराजी नंबर 2 रकबा 1.13 बीघा दर्ज रेकार्ड़ है।

उक्तानुसार भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 के नाम राजस्व रेकार्ड़ में दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री जारी हो । पत्रावजी फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2021 को खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(महिपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2022.09.03 16:27:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिकी ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– महिपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 46/2017 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

1. गोपीलाल पिता रंगलाल नाई (सेन) आयु व्यस्क निवासी रेह तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा मृतक के बजाय

1/1 श्री मुरलीधर पिता स्व0 गोपीलाल नाई आयु व्यस्क निवासी रेह तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

1/2 श्री भैरूलाल पिता स्व0 गोपीलाल नाई आयु व्यस्क निवासी रेह तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

1/3 बाली पुत्री स्व0 गोपीलाल नाई आयु व्यस्क निवासी रेह तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

– वादीगण

बनाम

1.श्री शंभुलाल पुत्र रामा नाई (सेन) आयु व्यस्क निवासी रेह तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
2 श्री माधुलाल पुत्र रामा नाई (सेन) आयु व्यस्क निवासी रेह तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
3.श्रीमती कंचन पुत्री रामा नाई (सेन) आयु व्यस्क निवासी रेह तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
4.श्री लादुलाल पुत्र रतनलाल ब्राहम्ण आयु व्यस्क निवासी रेह तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
5.श्री कैलाश पुत्र बालु लाल सोनी आयु व्यस्क निवासी रेह तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
6.श्री राम पुत्र गंगाराम गुर्जर आयु व्यस्क निवासी रेह तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
7.श्री सुनील कुमार पिता शांतिलाल ब्राहम्ण आयु व्यस्क निवासी रेह तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
8.श्री गजेन्द्र पुत्र नारायण लाल टॉक आयु व्यस्क निवासी बड़ी का बाड़िया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
9.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

–प्रतिवादीगण

———

वादी की ओर से श्री विनोद ति[illegible] प्रतिवादी संख्या 07 की ओर से एडवोकेट श्री मुकेश जैन की उपस्थिति मे इस वाद के [illegible] 12.07.2021 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश हो[illegible] कि और डिकी की जाती है कि ——और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि —— को दी जायें।

उपखड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2022.09.03 16:27:13 IST
Reason: SelfAttested

प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम रेह पटवार हल्का दहीमथा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बैमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित निम्न आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 के मध्य विभाजन अनुसार भूमि राजस्व रेकार्ड़ में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उसी अनुसार भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड़ में दर्ज की जावें।

1. मुरलीधर, भैरूलाल, बाली पिता गोपी नाई सा. देह खातेदार

आराजी नंबर	252/1	254/1	339	341	343	342
रकबा बीघा में	0–05	1–19	0–08	0–04	1–02	0–16

कुल किता 6 रकबा 4–14 बीघा

2. शंभुलाल पिता रामा 5/17, माधुलाल पिता रामा 12/17 नाई सा.देह खातेदार

आराजी नंबर	347	350	351 मि.	398	401/1	
रकबा बीघा में	0–08	0–04	0–15	0–05	0–02	

कुल किता 5 रकबा 1–14 बीघा

3. माधुलाल पिता रामा नाई सा. देह खातेदार

आराजी नंबर	402/1	402/4
रकबा बीघा में	0–02	0–02

कुल किता 2 रकबा 0–04 बीघा

4. शंभुलाल 3/20, माधुलाल 7/20, पिता रामा, मुरलीधर, भैरूलाल बाली पिता गोपी 1/2 नाई सा. देह खातेदार

   आराजी नंबर 348 रकबा 0.02 बीघा कुल किता 1 रकबा 0.02 गे.मु.

5. लादुलाल पिता रतनलाल शर्मा सा. देह खातेदार

आराजी नंबर	252 मि.	254 मि.	351/1	401 मि.	402 मि.
रकबा बीघा में	0–08	2–07	0–08	0–02	0–06

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2022.09.03 16:27:13 IST
Reason: SelfAttested

कुल किता 5 रकबा 3–11 बीघा

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

6. सुखनाथ पिता मोहननाथ योगी सा. देह खातेदार

आराजी नंबर 402/2 रकबा 0–04 बीघा कुल किता 1 रकबा 0–04 बीघा

7. सुनील कुमार पिता शांतिलाल शर्मा सा. देह खातेदार

आराजी नंबर 402/3 रकबा 0–08 बीघा कुल किता 1 रकबा 0–08 बीघा

8. गजेन्द्र पिता नारायणलाल टॉक सा. कोशीथल तह0 सहाड़ा खातेदार

आराजी नंबर 351/2 रकबा 0–05 बीघा कुल किता 1 रकबा 0–05 बीघा

9. कैलाश चन्द्र पिता बालुलाल सोनी सा. करेड़ा खातेदार

आराजी नंबर	253	254/2
रकबा बीघा में	0–16	0–17

कुल किता 2 रकबा 1–13 बीघा

10. पहले से खाते में तनहा दर्ज खातेदार मन्दरूप पिता गंगाराम गुर्जर सा. देह खातेदार जरिये नामान्तकरण संख्या 1279 दिनांक 14.10.19 में आराजी नंबर 2 रकबा 1.13 बीघा दर्ज रेकार्ड है।

उक्तानुसार भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 12.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2022.09.03 16:27:13 IST
Reason: SelfAttested